भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 130

मंगलवार, 28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस-एनएमपी) के अंतर्गत परियोजनाएं

***130. श्री बी. के. पार्थसारथी:**

श्री बस्तीपति नागराजू:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस-एनएमपी) के अंतर्गत स्वीकृत, कार्यान्वयनाधीन और पूरी हो चुकी परियोजनाओं की कुल संख्या का, उनकी वर्तमान स्थिति तथा पूर्ण होने की समय-सीमा सहित, क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आंध्र प्रदेश में पीएमजीएस-एनएमपी के अंतर्गत परियोजनाओं की प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय परिव्यय, स्वीकृत धनराशि और जारी की गई धनराशि का परियोजना-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी प्रकार की बाधाओं, भूमि अधिग्रहण के मुद्दों या अंतर्विभागीय स्वीकृतियों की पहचान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ङ) राज्य में परियोजनाओं की देरी में कमी, संभारतंत्र लागत के अनुकूलन और बेहतर लास्ट माइल कनेक्टिविटी सहित अब तक प्राप्त प्रमुख परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(च) पीएमजीएस-एनएमपी के अंतर्गत वर्ष-वार हासिल किए जाने वाले मात्रात्मक लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत परियोजनाएं' विषय पर दिनांक 28.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 130 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): देश में अवसंरचना की आयोजना और विकास के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस-एनएमपी), एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। इसकी शुरुआत अक्टूबर, 2021 में की गई थी। पीएमजीएस-एनएमपी फ्रेमवर्क के तहत गठित नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) आयोजना स्तर पर एकीकृत प्लानिंग, मल्टीमोडेलिटी, इंटर-मोडेलिटी, प्रयासों में सामंजस्य, अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी, परियोजना स्थल में और उसके आस-पास व्यापक विकास, डेटा आधारित निर्णय लेने आदि को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है। जून 2026 तक, एनपीजी तंत्र के माध्यम से लगभग 18.66 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 396 अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है। इन 396 परियोजनाओं में से, 256 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं, जिनमें से 198 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं। मंत्रालय-वार ब्यौरा **अनुबंध-क** में दिया गया है।

इसके अलावा, वित्त मंत्रालय ने "वर्ष 2022-23 के लिए पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता स्कीम" के भाग- II (पीएम गति शक्ति संबंधित व्यय के लिए) के जरिए 50 वर्षों हेतु ब्याज मुक्त ऋण के रूप में अवसंरचना विकास के लिए राज्यों के बीच संवितरण हेतु 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। "पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता स्कीम" के भाग-II के तहत अनुमोदित, राज्यों की परियोजनाओं और आबंटित निधियों का ब्यौरा **अनुबंध-ख** में दिया गया है।

(ख) और (ग): अद्यतन स्थिति के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाली 31 अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन एनपीजी तंत्र के माध्यम से किया गया है। इन परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध-ग** में दिया गया है।

इसके अलावा, "वर्ष 2022-23 के लिए पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता स्कीम (एसएएससीआई)" के भाग- II (पीएम गति शक्ति से संबंधित

व्यय के लिए) के तहत अनुमोदित, आंध्र प्रदेश से संबंधित 02 परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत निधि	जारी निधि	स्थिति
1.	कोप्पर्थी में मेगा औद्योगिक हब में 46 एमएलडी बाह्य जल आपूर्ति	171 करोड़ रुपए	171 करोड़ रुपए	88% पूर्ण
2.	एमआईएच कोप्पर्थी, कडप्पा में रेलवे साइडिंग	31 करोड़ रुपए	31 करोड़ रुपए	80% पूर्ण

(घ) और (ङ): पीएम गतिशक्ति ने केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एकीकृत और सामंजस्य पूर्ण आयोजना के जरिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण को सक्षम करके अवसंरचना की आयोजना को रूपांतरित किया है। प्रमुख परिणामों में बढ़ी हुई मल्टीमोडल कनेक्टिविटी, आर्थिक केंद्रों, औद्योगिक क्लस्टरों, पत्तन और लॉजिस्टिक्स हब के लिए बेहतर फर्स्ट-माइल और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी, बेहतर अंतर-एजेंसी समन्वय के माध्यम से तेजी से परियोजना की आयोजना और कार्यान्वयन तथा समय पर अवसंरचना की कमियों और बाधाओं की पहचान करना शामिल हैं।

इसके अलावा, व्यापक स्तर पर अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी लाने के लिए एक संस्थागत तंत्र अर्थात परियोजना मॉनीटरिंग ग्रुप (पीएमजी) की स्थापना की गई है। पीएमजी परियोजनाओं की मॉनीटरिंग को सुविधाजनक बनाता है और अंतर-मंत्रालयी और अंतर-राज्यीय समन्वय तंत्र के माध्यम से भूमि अधिग्रहण और वन मंजूरी से संबंधित मामलों सहित विनियामक मुद्दों के समाधान में सहायता प्रदान करता है। कोई भी परियोजना प्रस्तावक, चाहे वे सरकारी या निजी हो, जो 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक के अनुमानित मूल्य वाली परियोजना के निष्पादन में विलंब या बाधाओं का सामना कर रहा है, पीएमजी पोर्टल पर इस मुद्दे को उठा सकता है। पीएमजी में 5-स्तरीय एस्केलेशन तंत्र मौजूद है जो यह सुनिश्चित करता है कि परियोजना को पूरा करने में तेजी लाने के लिए पोर्टल पर उठाए गए मुद्दों को मॉनीटर किया जाए और उचित स्तर पर उनका समाधान किया जाए। दिनांक 20.07.2026 तक की स्थिति के अनुसार, आंध्र प्रदेश में कार्यान्वयन के अधीन 93 अवसंरचना

परियोजनाओं को पीएमजी पोर्टल पर सूचीबद्ध किया गया है और पीएमजी तंत्र ने इन परियोजनाओं में 214 मुद्दों के समाधान की सुविधा प्रदान की है।

"वर्ष 2022-23 के लिए पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता स्कीम (एसएएससीआई)" के भाग-II (पीएम गति शक्ति संबंधित व्यय के लिए) के तहत अनुमोदित, आंध्र प्रदेश से संबंधित 02 परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में कोई मुद्दा संसूचित नहीं किया गया है।

(च): पीएम गतिशक्ति मंत्रालय-वार या राज्य-वार विशिष्ट वार्षिक लक्ष्यों के स्थान पर एक एकीकृत आयोजना फ्रेमवर्क प्रदान करती है। परियोजनाओं का अनुमोदन और कार्यान्वयन संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी मौजूदा स्कीमों और प्रक्रियाओं के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए, पीएम गतिशक्ति पहल के तहत कोई मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

अनुबंध-क

दिनांक 28.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 130 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एनपीजी तंत्र के माध्यम से मूल्यांकित परियोजनाओं का मंत्रालय-वार विवरण

मंत्रालय/विभाग	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत	स्वीकृति प्रदान की जानी है	कार्यान्वयन के अधीन	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)
सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	171	108	63	53	901668
रेल मंत्रालय	162	102	60	102	543315
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	31	17	14	17	288614
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	4	4	0	3	9271
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	3	2	1	2	49759
नागर विमानन मंत्रालय	6	4	2	2	10005
एनआईसीडीसी, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	12	12	0	12	28,693
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	01	1	0	1	20,774
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	01	1	0	1	4,680
वस्त्र मंत्रालय	05	05	0	05	9760
कुल	**396**	**256**	**140**	**198**	**18,66,539**

अनुबंध-ख

दिनांक 28.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 130 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2022-23 के लिए पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता स्कीम के भाग-II के तहत राज्य-वार निधि आवंटन

क्रम सं.	राज्य	वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित पूंजी व्यय (करोड़ रुपए में)
1	पश्चिम बंगाल	30	376
2	छत्तीसगढ़	27	168.42
3	बिहार	21	502.92
4	उत्तर प्रदेश	15	896.91
5	मध्य प्रदेश	11	393
6	महाराष्ट्र	8	316
7	तमिलनाडु	8	204
8	राजस्थान	7	301
9	असम	6	156
10	नागालैंड	5	28.43
11	केरल	4	96
12	त्रिपुरा	4	35
13	गुजरात	3	174
14	हरियाणा	3	55
15	झारखंड	3	165
16	मणिपुर	3	36
17	हिमाचल प्रदेश	3	42
18	अरुणाचल प्रदेश	3	87.85
19	आंध्र प्रदेश	2	202
20	कर्नाटक	2	182
21	मेघालय	2	38
22	मिजोरम	2	25
23	उत्तराखंड	2	56
24	गोवा	1	19
25	पंजाब	1	90
26	सिक्किम	1	19
27	तेलंगाना	1	100
	कुल	**178**	**4764.53**

स्रोत: वर्ष 2022-23 के लिए पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता स्कीम के भाग-II के तहत परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए व्यय विभाग (डीओई) का कार्यालय ज्ञापन (ओएम)।

अनुबंध-ग

दिनांक 28.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 130 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

आंध्र प्रदेश राज्य में आने वाली उन परियोजनाओं का विवरण, जिनका मूल्यांकन प्रधानमंत्री गतिशक्ति फ्रेमवर्क के एनपीजी तंत्र के तहत किया गया है।

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	एनपीजी के तहत मूल्यांकित परियोजना का नाम
1.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	विशाखापत्तनम पोर्ट लॉजिस्टिक्स पार्क-(एमएमएलएच सह एफटीडब्ल्यूजेड)
2.	रेल मंत्रालय	गुंटूर-बीबीनगर स्टेशनों के बीच दोहरीकरण
3.	सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	हैदराबाद से बैंगलोर
4.	रेल मंत्रालय	मवाडचल-महबूबनगर को छोड़कर धोन में बाईपास सहित महबूबनगर के रास्ते मुदखेड़ और धोन स्टेशनों के बीच दोहरीकरण का प्रस्ताव - 417.88 किमी (मूल रूप से अकोला-धोन डीएल 626 किमी के रूप में स्वीकृत)
5.	सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	तेलंगाना राज्य में हाइब्रिड एन्युटी मोड पर अन्य आर्थिक कॉरिडोर एनएच (ओ) कार्यक्रम के तहत नागपुर-विजयवाड़ा कॉरिडोर के एक हिस्से के रूप में डिजाइन सीएच. 112.240 किमी पर ओरुगोंडा गांव से डिजाइन सीएच. 220.480 किमी पर वी. वेंकटयापालेम गांव तक (कुल लंबाई 108.24 किमी) 4-लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग सेक्शन (वारंगल-खम्मम) का निर्माण
6.	रेल मंत्रालय	भद्रक-विजयनगरम के बीच बचे सेक्शन में तीसरी रेल लाइन
7.	रेल मंत्रालय	पकाला और तिरुपति स्टेशनों के बीच प्रस्तावित दोहरीकरण (41.93 किमी)
8.	रेल मंत्रालय	मोतुमरी (10.877 किमी) में रेल ओवर रेल (आरओआर) सहित मोतुमरी-विष्णुपुरम स्टेशनों के बीच का (88.81 किमी) प्रस्तावित दोहरीकरण
9.	रेल मंत्रालय	मल्कानगिरी से भद्राचलम (पाण्डुरंगपुरम स्टेशन तक विस्तारित) - 173.61 किमी
10.	सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर सार्वजनिक-निजी

		भागीदारी के माध्यम से आंध्र प्रदेश राज्य के श्री सत्य साई (अनंतपुर) जिले में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) का विकास, संचालन और रखरखाव
11.	रेल मंत्रालय	अमरावती के रास्ते एर्रुपलेम-नंबूर स्टेशनों के बीच प्रस्तावित नई बीजी लाइन (56.53 किमी)
12.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	नव-घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग-216एच जो पेडाना के पास एनएच-216 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर गुडलावेलेरु, गुडीवाड़ा, हनुमान जंक्शन, नुजवेदु, विस्सनपेटा, मल्लेला को जोड़ते हुए आंध्र प्रदेश राज्य में लक्ष्मीपुरम के पास एनएच 30 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होता है, के लगभग 120.85 किमी की लंबाई के लिए पेव्ड शोल्डर वाले 2/4/6 लेन में उन्नयन
13.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	**पैकेज-I (तमिलनाडु)-** तिरुवल्लूर से तमिलनाडु/आंध्र प्रदेश सीमा तक एनएच-716 को चार लेन का बनाना **पैकेज-II (आंध्र प्रदेश) -** तमिलनाडु/आंध्र प्रदेश सीमा से पुत्तूर तक एनएच-716 को चार लेन का बनाना तथा मल्लावरम जंक्शन से रेणिगुंटा जंक्शन तक एनएच-71 को छह लेन का बनाना **पैकेज-I (तमिलनाडु) -** तिरुवल्लूर से तमिलनाडु/आंध्र प्रदेश सीमा तक एनएच-716 को चार लेन का बनाना **पैकेज-II (आंध्र प्रदेश) -** तमिलनाडु/आंध्र प्रदेश सीमा से पुत्तूर तक राष्ट्रीय राजमार्ग-716 को चार लेन का बनाना और मल्लावरम जंक्शन से रेनीगुंटा जंक्शन तक राष्ट्रीय राजमार्ग-71 को छह लेन का बनाना
14.	रेल मंत्रालय	गुडूर-रेनीगुंटा तीसरी लाइन
15.	एनआईसीडीसी, डीपीआईआईटी	हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर (एचबीआईसी) के तहत ओर्वाकल औद्योगिक क्षेत्र (ओआईए) का विकास
16	एनआईसीडीसी, डीपीआईआईटी	विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर (वीसीआईसी) के तहत कोप्पार्थी औद्योगिक क्षेत्र (केआईए) का विकास
17.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	बदवेल नेल्लोर

18.	रेल मंत्रालय	तिरुपति-काटपाडी दोहरी लाइन
19.	रेल मंत्रालय	बल्लारी और चिकजाजूर लाइन का दोहरीकरण
20.	सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	विशाखापत्तनम पोर्ट सड़क (सब्बावरम से शीलानगर जंक्शन) के लिए छह लेन कनेक्टिविटी
21.	सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	आकीवेडु से दिगामर्रू तक एनएच-165 का पेव्ड शोल्डर के साथ 2/4 लेन में उन्नयन
22.	सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	मुदौर-कडप्पा
23.	रेल मंत्रालय	गुम्मिडीपुंडी और गडूर के बीच तीसरी और चौथी लाइन के लिए स्थल का अंतिम सर्वेक्षण
24.	रेल मंत्रालय	निदादावोलु - दुव्वडा स्टेशनों के बीच प्रस्तावित तीसरी और चौथी लाइन
25.	सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	विनुकोंडा - गुंटूर खंड, अमरावती ओआरआर पर समाप्त
26.	रेल मंत्रालय	अरक्कोणम-रेणिगुंटा के बीच तीसरी और चौथी लाइन
27.	सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	अमरावती ओआरआर का निर्माण
28.	रेल मंत्रालय	गुंतकल - बेल्लारी खंड के बीच तीसरी और चौथी लाइन
29.	रेल मंत्रालय	गुंतकल-वाडी के बीच तीसरी और चौथी लाइन
30.	रेल मंत्रालय	गुदूर - नेल्लोर - विजयवाड़ा - बल्लारशाह जंक्शन के बीच चौथी लाइन
31.	रेल मंत्रालय	गुंतकल - ओबुलवारिपल्ले - रेणिगुंटा के बीच तीसरी और चौथी लाइन
